"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 मार्च 2014—चैत्र 8, शक 1936

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-50/2014/वा. कर (आब.)/पांच (49). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

(1) एफ. एल.-1(घ) लायसेंस की शर्त क्रमांक-8 (क) के स्थान पर निम्नांकित शर्त क्रमांक 8 (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

8 (क)-न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं ड्यूटी राशि का विनियोजन :-

(1) विदेशी मदिरा स्प्रिट के लिए माहवार निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा पर औसत ड्यूटी राशि की गणना रुपये 100/- प्रति प्रूफ लीटर के आधार पर किया गया है. औसत ड्यूटी राशि की गणना निम्नानुसार किया गया है :-

क्र.	रेंज का नाम	लैंडिंग प्राइज का स्लेब	ड्यूटी दर	मासिक प्रत्याभूत मात्रा में रेंज वाइस कुल प्रतिशत	ड्यूटी राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निम्न (चीप)	रुपये 700/- तक	90/-	68%	6120/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	मध्यम	रुपये 701/- से 1000/- तक	105/-	10%	1050/-
3.	उच्च	रुपये 1001/- से 1500/- तक	120/-	14%	1680/-
4.	उच्चतर	रुपये 1501/- से 2500/- तक	140/-	7%	980/-
5.	उच्चतम	रुपये 2501/- से 4000/- तक	160/-	0.8%	128/-
6.	प्रिमियम	रुपये 4001/- और उससे अधिक	210/-	0.2%	42/-
				100%	**10000/-**

टीप :- ड्यूटी स्लेब की गणना छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन के लैंडिंग प्राइज पर किया जावेगा.

(2) इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह के लिए निर्धारित की गई सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान एवं निर्धारित की गई सम्पूर्ण ड्यूटी राशि उपरोक्त सारणी अनुसार जमा किया जाना अनिवार्य होगा. परन्तु किसी भी माह के लिए विदेशी मदिरा स्प्रिट की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से ड्यूटी राशि उपरोक्त सारणी अनुसार जमा करने से शेष रही मात्रा के लिए स्लेबवार निर्धारित ड्यूटी दर अनुसार शास्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी दायी होगा. निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि से मास के अंतिम कार्य दिवस तक बिना उठाई गई मदिरा की मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा.

(2) प्रारूप एफ. एल.-2 (रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की "शर्त क्रमांक 3-क" को विलोपित किया जावे.

(3) प्रारूप एफ. एल.-2 (रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 7-ब में अंक "500" के स्थान पर अंक "325" प्रतिस्थापित किया जावे.

(4) प्रारूप एफ. एल.-2 (रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की "शर्त क्रमांक 8" के पश्चात् निम्नांकित नवीन "शर्त क्रमांक 8 (क)" अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

8 (क)- "अनुज्ञप्त परिसर, 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरु घासीदास जयंती), होली व मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 10.00 बजे पूर्वान्ह से 10.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है. उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा."

(5) प्रारूप एफ. एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की "शर्त क्रमांक 3-क" को विलोपित किया जावे.

(6) प्रारूप एफ. एल. 3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 6-ब में अंक एवं शब्द समूह "750 मि. ली. धारिता वाली बोतल" के स्थान पर शब्द समूह "क्वार्ट बोतल धारिता वाली बोतल" एवं अंक "500" के स्थान पर अंक "325" प्रतिस्थापित किया जावे.

(7) प्रारूप एफ. एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की "शर्त क्रमांक -7" के पश्चात् नवीन "शर्त क्रमांक 7 (क)" अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

"अनुज्ञप्तिधारी लैंडिंग प्राईस रुपये 1000/- तक की विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा."

(8) प्रारूप एफ. एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की "शर्त क्रमांक 8" के पश्चात् निम्नांकित नवीन "शर्त क्रमांक 8 (क)" अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

8 (क)- "अनुज्ञप्त परिसर, 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरु घासीदास जयंती), होली व मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के

लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 10.00 बजे पूर्वान्ह से 11.00 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है. उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा."

(9) प्रारूप एफ. एल. 4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 5 के वाक्यांश "माल्ट मदिरा से भिन्न विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम 750 मि. ली. क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जायेगा. 750 मि. ली. से क्षमता से कम परिमाप सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जे में रखना निषिद्ध है" के स्थान पर वाक्यांश "विदेशी मदिरा माल्ट की 325 मि. ली. से अन्यून की धारिता वाली बोतल/केन से भिन्न विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण स्टाक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल धारिता वाली बोतल की सीलबंद बोतलों में किया जायेगा. क्वार्ट बोतल धारिता वाली बोतल क्षमता से कम परिमाप सीलबंद अथवा खाली बोतलें कब्जे में रखना निषिद्ध है" प्रतिस्थापित किया जावे.

(10) प्रारूप एफ. एल. 4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की "शर्त क्रमांक-7" के पश्चात् निम्नांकित नवीन "शर्त क्रमांक 47(क)" अन्त:स्थापित किया जावे, अर्थात् :-

7(क)-"अनुज्ञप्तिधारी लैंडिंग प्राईस रुपये 1000/- तक की विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा."

(11) प्रारूप एफ. एल. 4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की "शर्त क्रमांक-8" के पश्चात् निम्नांकित नवीन "शर्त क्रमांक-8(क)" अन्त:स्थापित किया जावे, अर्थात् :-

8 (क)- "अनुज्ञप्त परिसर, 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरु घासीदास जयंती), होली व मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 10.00 बजे पूर्वान्ह से 11.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है. उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा."

(12) प्रारूप एफ. एल. 4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 5 के वाक्यांश "माल्ट मदिरा से भिन्न विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम 750 मि. ली. क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जायेगा. 750 मि. ली. से क्षमता से कम परिमाप सीलबंद अथवा खाली बोतलें कब्जे में रखना निषिद्ध है" के स्थान पर वाक्यांश "विदेशी मदिरा माल्ट की 325 मि. ली. से अन्यून की धारिता वाली बोतल/केन से भिन्न विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण स्टाक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल धारिता वाली बोतल की सीलबंद बोतलों में किया जायेगा. क्वार्ट बोतल धारिता वाली बोतल क्षमता से कम परिमाप सीलबंद अथवा खाली बोतलें कब्जे में रखना निषिद्ध है" प्रतिस्थापित किया जावे

(17) प्रारूप एफ. एल. 4 क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की "शर्त क्रमांक -7" के पश्चात् निम्नांकित नवीन "शर्त क्रमांक-7 (क)" अंत:स्थापित किया जावे अर्थात् :-

7 (क) "अनुज्ञप्तिधारी लैंडिंग प्राईस रुपये 1000/- तक की विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा."

(18) प्रारूप एफ. एल. 4 क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक-8 के पश्चात् निम्नांकित नवीन "शर्त क्रमांक-8(क)" अन्त:स्थापित किया जावे, अर्थात् :-

8 (क)- "अनुज्ञप्त परिसर, 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरु घासीदास जयंती), होली व मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 10.00 बजे से पूर्वान्ह से 11.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है. उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा."

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत होगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.